लोक लेखा समिति/ लोक उपक्रम समिति संबंधी प्रक्रिया

झारखण्ड विधान सभा में विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विचारार्थ, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 237 से 238 एवं 241 से 242 के अंतर्गत निहित दो विधायी समितियाँ लोक लेखा समिति एवं लोक उपक्रम समिति हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदनों के सभी बिन्दुओं पर चर्चा हेतु विधायी समितियों को सुपुर्द कर दिया जाता है।

उच्चस्तरीय समिति (शकधर समिति) के प्रतिवेदन के नियमानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुतिकरण के तुरंत बाद लोक लेखा समिति द्वारा प्रेक्षकों के साथ चर्चा हेतु बिन्दुओं के चयन की प्रतीक्षा किए बिना प्रशासनिक विभाग/ सरकार को स्व-प्रेरणा से लोक लेखा समिति को टिप्पणियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।

लोक लेखा समिति जाँच हेतु विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित लेखापरीक्षा कंडिकाओं का चयन करती है। विषयों के चयन के उपरांत समिति, संबंधित विभागों से विस्तृत लिखित सूचना की माँग करती है। तदोपरांत, समिति, संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य प्राप्त करती है। जब समिति द्वारा उनके विभागों से संबंधित तथ्यों की जाँच की जाती है, तब विभागाध्यक्ष समिति के समक्ष उपस्थित होते हैं। उन विषयों के जाँच से संबंधित सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्ति के उपरांत,

समिति प्रतिवेदन के रूप में (लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन) अपनी अनुशंसा जारी करती है, जो उनके द्वारा अंतिम रूप देने के उपरांत सदन में प्रस्तुत की जाती है।

विभागों को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में सन्निहित अनुशंसाओं पर, की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई, जो लेखापरीक्षा द्वारा जाँची गई हो, को इंगित करते हुए विस्तृत कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए.टी.एन.) उपलब्ध कराना है।

कृत कार्रवाई टिप्पणियों पर आधारित कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ए.टी.आर.) का प्रारूप सचिवालय द्वारा तैयार किया जाता है। कृत कार्रवाई प्रतिवेदन को समिति की मूल प्रतिवेदनों की भांति सदन में प्रस्तुत की जाती है।